*जमा बीमा: बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखना**

श्री एम राजेश्वर राव

उप-गवर्नर स्वामीनाथन जे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरर्स (आईएडीआई) और वैश्विक डिपॉजिट इंश्योरर्स के प्रतिष्ठित प्रतिनिधिगण, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के बोर्ड सदस्य और अधिकारीगण, आरबीआई के अधिकारीगण, देवियो और सज्जनो, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले, मैं जयपुर के खूबसूरत शहर में आयोजित आईएडीआई एशिया-पैसिफिक क्षेत्रीय समिति अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में समापन भाषण देने के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए आईएडीआई और डीआईसीजीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

सम्मेलन का विषय 'विकसित होते वित्तीय परिदृश्य को समझना: जमा बीमाकर्ताओं के लिए उभरती चुनौतियां और संकट की तैयारी का महत्व', वर्तमान समय के लिए काफी प्रासंगिक है, क्योंकि वित्तीय सेवाओं में तेजी से नवाचार और डिजिटलीकरण हो रहा है, वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, साथ ही वित्तीय सेवा संस्थाओं के बीच बढ़ते अंतर-संपर्क भी दुनिया भर में वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य को बदल रहे हैं।

पिछले दो दिनों में, आपने विभिन्न दृष्टिकोणों, विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और उभरती चुनौतियों और जमा बीमाकर्ताओं को प्रभावित करने वाले जोखिमों पर विचारोत्तेजक बहस के साथ समृद्ध पैनल चर्चाएँ की होंगी। चाहे वह केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) का उद्भव हो, टोकनयुक्त जमा, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जोखिम या भविष्य की वित्तीय प्रणाली जैसे फ़िन्टरनेट, विकसित और भविष्य के विकास से वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को बदलने की संभावना है और बदले में जमा बीमा कार्यप्रणाली को बदल देगा। मुख्य मुद्दा जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि हम जमा बीमा कार्य को भविष्य के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। फ़िन्टरनेट, जमा का टोकनीकरण, सीबीडीसी / डिजिटलीकरण आदि जैसी चुनौतियाँ वित्तीय क्षेत्र की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वित्तीय ईकोसिस्टम के लिए उन्नत तकनीकी ढांचे की आवश्यकता को उजागर करती हैं। लेकिन यह किसी भी तरह से जमा बीमाकर्ताओं को जमाकर्ताओं के लिए एक बैकस्टॉप प्रदान करने के अपने मूल अधिदेश से विचलित नहीं करता है ताकि वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं में विश्वास पैदा हो जो वास्तविक क्षेत्र का समर्थन करते हैं और वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं। जैसा कि मैं देखता हूं, हमें इस बात की जांच करने की आवश्यकता पर विचार करना चाहिए कि क्या जमा बीमा का विस्तार ऊर्ध्वाधर रूप से होना चाहिए (अर्थात, प्रस्तावित कवर में वृद्धि होनी चाहिए) या क्षैतिज रूप से (बीमित उत्पादों के माध्यम से कवर की जाने वाली संस्थाओं की प्रकृति में वृद्धि होनी चाहिए) और साथ ही फिनटेक नवाचारों को प्रतिबिंबित करने वाले तीसरे आयाम के साथ इसकी भूमिका का भी पता लगाना चाहिए, जो वित्तीय सेवा क्षेत्र के भीतर जमाकर्ताओं की देनदारियों के तरीके को बदलता है।

इन चुनौतियों के मद्देनजर, मैं इस अवसर पर विशिष्ट मुद्दों पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ विचार साझा करना चाहता हूं, जिनमें बीमा कवरेज की पर्याप्तता, वित्त पोषण, जोखिम आधारित प्रीमियम, डिजिटल उत्पादों का कवरेज, भुगतान की समयबद्धता और संचार रणनीति आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिन पर हमें सामूहिक रूप से विचार करने और आगे बढ़ने के लिए संभावित समाधानों की तलाश करने की आवश्यकता है।

भारत में जमा बीमा का इतिहास

इन मुद्दों के संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए, मैं संक्षेप में भारत में जमा बीमा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को साझा करना चाहता हूँ। जमा बीमा, जैसा कि हम आज जानते हैं, भारत में 1962 में शुरू किया गया था। उस समय, हम संयुक्त राज्य अमेरिका (जहाँ इसे 1933 में पेश किया गया था) के बाद ऐसी योजना शुरू करने वाले दुनिया के दूसरे देश थे। हमने जमा बीमा निगम (डीआईसी) से शुरुआत की। बाद में 1978 में डीआईसी को एक अन्य इकाई क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (सीजीसीआई) के साथ विलय कर दिया गया, जिससे डीआईसीजीसी का

* 14 अगस्त, 2024 को जयपुर में जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा आयोजित आईएडीआई एशिया-पैसिफिक रीजनल कमेटी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2024 में उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव द्वारा दिया गया समापन भाषण। लता विश्वनाथ, अभिनव पुष्प, अमृता प्रभु और मथियाझगन के द्वारा दिए गए सुझावों का आभार।

निर्माण हुआ। इस विलय का उद्देश्य जमा बीमा और ऋण गारंटी कार्यों को एक साथ लाना था, जिससे एक अधिक सुसंगत और कुशल प्रणाली बनाई जा सके। वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण के परिणामस्वरूप, अप्रैल 2003 में ऋण गारंटी योजना को बंद कर दिया गया था। आज जमा बीमा डीआईसीजीसी का मुख्य कार्य बना हुआ है और नीति का उद्देश्य बैंकों के 'छोटे जमाकर्ताओं' को संभावित बैंक विफलताओं से उत्पन्न होने वाली उनकी बचत के नुकसान के जोखिम से बचाना है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं का विश्वास बढ़ाना और विकास और वृद्धि को गति देने के लिए जमाराशि जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। जब 1962 में जमा बीमा योजना शुरू की गई थी, तब 287 बैंक बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत थे, 31 मार्च 2024 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 1,997 हो गई है[1]|

बीमा कवरेज की पर्याप्तता

मेरे विचार में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ग्राहक जमा के लिए बीमा कवरेज की पर्याप्तता का मुद्दा होगा। आईएडीआई सर्वेक्षण [2] के अनुसार , औसत जमा बीमाकर्ता पात्र जमा के मूल्य का लगभग 41 प्रतिशत कवर करता है। भारत के लिए यह संख्या 43.1 प्रतिशत है जो थोड़ी अधिक है। भारत में, 31 मार्च, 2024 तक बैंकिंग प्रणाली में कुल खातों की संख्या के अनुसार पूरी तरह से संरक्षित खातों की संख्या 97.8 प्रतिशत है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क 80 प्रतिशत है। हालांकि इस समय दायरा और कवरेज संतोषजनक प्रतीत होता है, लेकिन आगे चलकर इसमें चुनौतियां होने की संभावना है।

मैं विस्तार से बताता हूँ। आज हम भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानते हैं और निकट भविष्य में यह स्वस्थ विकास दर जारी रहने की उम्मीद है। एक बढ़ती और औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक रूप से प्राथमिक और द्वितीयक बैंक जमा दोनों में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो वांछनीय बीमा आरक्षित निधि आवश्यकता और उपलब्ध आरक्षित निधि के बीच एक खाई पैदा करती है। वर्तमान में, भारत में सीमित कवरेज विकल्प को अपनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक बीमित बैंक के प्रति जमाकर्ता ₹5,00,000 की राशि तक सीमित एक समान जमा बीमा कवरेज होता है। बैंक जमा के मूल्य में वृद्धि, आर्थिक विकास दर, मुद्रास्फीति, आय के स्तर में वृद्धि आदि जैसे कई कारकों पर विचार करते हुए, इस सीमा में समय-समय पर ऊपर की ओर संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। इसका मतलब है कि जमा बीमाकर्ता को अतिरिक्त फंडिंग के बारे में सावधान रहना होगा और उसे पूरा करने के लिए उपयुक्त विकल्पों पर काम करना होगा।

वित्तपोषण और जोखिम आधारित प्रीमियम

इसके बाद जमा बीमा प्रणाली के वित्तपोषण का मुद्दा सामने आता है और क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम उनके संबंधित जोखिम प्रोफाइल पर आधारित होना चाहिए। वैश्विक स्तर पर, 96 प्रतिशत [3] से अधिक जमा बीमा प्रणाली, जिसमें भारत में डीआईसीजीसी शामिल है, प्रत्याशित निधियन प्रणालियां हैं जिनमें जमा बीमाकर्ता एक जमा बीमा निधि रखता है, जो मुख्य रूप से बीमित संस्थानों से एकत्र किए गए प्रीमियम द्वारा वित्तपोषित होता है और बैंक की विफलता की स्थिति में जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए निधि का उपयोग किया जाता है।

जमा बीमाकर्ता सदस्य वित्तीय संस्थानों से या तो एक फ्लैट दर पर या किसी व्यक्तिगत बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर एक विभेदित दर पर प्रीमियम एकत्र करते हैं। हालांकि फ्लैट दर प्रीमियम संरचना का लाभ यह है कि इसे समझना और प्रशासित करना अपेक्षाकृत आसान है, यह उस जोखिम के स्तर पर विचार नहीं करता है जो बैंक जमा बीमा प्रणाली के लिए उत्पन्न करता है और इसे बीमा की अवधारणा के विपरीत माना जा सकता है। विभेदक प्रीमियम प्रणालियों का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों को अत्यधिक जोखिम लेने से बचने, नैतिक जोखिम को कम करने और प्रीमियम मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिक इक्विटी लाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, कई

[1] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2023-24.

[2] आईएडीआई रिपोर्ट - 2023 बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली - संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे

[3] आईएडीआई रिपोर्ट - 2024 में जमा बीमा - वैश्विक रुझान और प्रमुख मुद्दे - (www.iadi.org).

अधिकार क्षेत्र जोखिम आधारित प्रीमियम (आरबीपी) की ओर बढ़ रहे हैं। आईएडीआई के अनुसार, लगभग 55 प्रतिशत[4] जमा बीमाकर्ता एक विभेदक प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करते हैं।

भारत में [5], बैंकिंग क्षेत्र सुधारों पर नरसिम्हम समिति (1998) और भारत में जमा बीमा में सुधारों पर कपूर समिति (आरबीआई, 1999), डीआईसीजीसी द्वारा गठित क्रेडिट जोखिम मॉडल पर समिति (2006), और विभेदक प्रीमियम प्रणाली पर समिति (2015) सहित विभिन्न समितियों ने आरबीपी की सिफारिश की थी, लेकिन उस सिफारिश को अपनाया नहीं जा सका। आईएडीआई कोर सिद्धांत 9 कुछ शर्तों को निर्धारित करता है, जिन्हें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है यदि जमा बीमाकर्ता विभेदक प्रीमियम प्रणाली का उपयोग करता है, जैसे यह सुनिश्चित करना कि प्रीमियम की गणना के लिए प्रणाली पारदर्शी है; स्कोरिंग / प्रीमियम श्रेणियां काफी विभेदित हैं; और व्यक्तिगत बैंकों से संबंधित प्रणाली से उत्पन्न रेटिंग और रैंकिंग को गोपनीय रखा जाता है। बीमा के मूल्य निर्धारण में निष्पक्षता के मुद्दे का समाधान करने के लिए आरबीपी की शुरूआत एक स्वाभाविक परिणाम है। हालांकि, यह अत्यंत डेटा संचालित है और बीमित बैंक की रेटिंग और संबंधित बीमा प्रीमियम पर पहुंचने के लिए एक मजबूत मॉडल पर निर्भर करता है जो बदले में एक क्षेत्राधिकार द्वारा अपनाए गए जमा बीमा मॉडल पर निर्भर करता है।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में विविधता को देखते हुए, वैश्विक परिचालन वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से लेकर सीमित कम्प्यूटरीकृत परिचालन वाले एकल शाखा मॉडल के रूप में संचालित सहकारी बैंकों तक, डेटा आवश्यकताओं को पूरा करना एक बड़ी चुनौती है। एक दुविधा यह भी है कि आरबीपी की शुरूआत जोखिम भरे संस्थानों को जमाराशि बहिर्वाह के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है और विफलता की दूरी को कम कर सकती है। हालांकि, हमें यह भी पहचानने की जरूरत है कि बैंकों द्वारा उत्पाद पेशकशों में अधिक नवाचारों के साथ नए जोखिम जो जमा वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं, जमा के लिए उच्च कवरेज की मांग, जोखिम आधारित प्रीमियम जमा बीमाकर्ता के लिए अपने वित्त की मजबूती सुनिश्चित करने और बदले हुए वित्तीय परिवेश में संचालन करने की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। इसलिए हमारे लिए जोखिम-आधारित जमा बीमा कवर को अपनाने के विकल्प की सावधानीपूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है।

समाधान के लिए पेबॉक्स प्लस अधिदेश

बीमित जमाराशियों की प्रतिपूर्ति के अलावा, कुछ जमा बीमाकर्ता बैंकों के विलय के मामलों में वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। भारत में, डीआईसीजीसी अधिनियम, विनियामक द्वारा विलय की मंजूरी के बाद एक कमजोर बैंक के एक मजबूत बैंक के साथ विलय के मामले में वित्तीय सहायता के संदर्भ में एक सीमित समाधान कार्य प्रदान करता है। जब अधिग्रहण करने वाला बैंक इस देयता को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ होता है, तो डीआईसीजीसी कवरेज सीमा तक जमाकर्ताओं के दावे में कमी को पूरा करके विलय में सहायता करता है। हाल ही में, डीआईसीजीसी ने एक शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) के दूसरे बैंक के साथ विलय के बाद उसके बीमित जमाराशियों के दावों के संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान की। भारत में यूसीबी क्षेत्र के महत्व को देखते हुए, क्योंकि इसमें सीमित साधनों वाले लोगों को वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण को चलाने की क्षमता है, इस क्षेत्र में समेकन का समर्थन करने में डीआईसीजीसी की भूमिका एक ऐसा मामला है जिस पर कम से कम लागत सिद्धांतों के तहत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

डिजिटल उत्पादों के लिए बीमा कवर

वित्तीय क्षेत्र में तेजी से तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए विभिन्न नवीन डिजिटल वित्तीय उत्पाद और सेवाएं शुरू हुई हैं। जमा बीमा वाले देश आम तौर पर अपने बाजार संरचना, कानूनी और नियामक ढांचे और इन उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने से जुड़े जोखिमों के आकलन के आधार पर डिजिटल "जमा जैसे" उत्पादों के लिए तीन अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं।[6] जबकि प्रत्यक्ष दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से डिजिटल जमा

[4] आईएडीआई रिपोर्ट - 2023 बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली - संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे

[5] आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट - 2020-21 - बॉक्स VI.6.

[6] शोध पत्र - डिजिटल वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए जमा बीमा डॉ. एंड्रियास जे. ज़िमरमैन प्रो. डॉ. वाल्टर फ़ार्कस द्वारा, नवंबर 2021, लुकास मेट्ज़गर (esisuisse) द्वारा सितंबर 2022 में संशोधित।

जैसे उत्पादों को बीमाकृत जमा के रूप में परिभाषित करता है, बहिष्करण दृष्टिकोण के तहत, ये खाते स्पष्ट रूप से जमा बीमा प्रणाली द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं क्योंकि डिजिटल भुगतान सेवा खातों को भुगतान या स्थानान्तरण करने के लिए अस्थायी मूल्य भंडारण के साधन के रूप में माना जाता है। तीसरा दृष्टिकोण इन उत्पादों को अप्रत्यक्ष रूप से जमा बीमा कवर प्रदान करता है यदि डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाताओं द्वारा एकत्र "फ्लोट" को बीमाकृत डिपॉजिटरी संस्थान के साथ पूल किए गए कस्टोडियल खातों में रखा जाता है। तथापि, भारत में, जमाराशि की परिभाषा में जमाकर्ता को दिए गए सभी बकाया राशि को कवर करने के लिए समावेशी स्वरूप है, चाहे वह किसी भी नाम से हो।

वित्तीय क्षेत्र में नवाचारों को आम तौर पर नियामकों द्वारा सुगम बनाया जाता है क्योंकि वे वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पहुंच को आबादी के अब तक बहिष्कृत वर्गों तक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन नवाचारों ने वित्तीय समावेशन पहलों को भी काफी लाभान्वित किया है। यहां तक कि जब डिजिटल उत्पाद अधिक व्यापक हो जाते हैं, तब भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या इस तरह के डिजिटल जमा जैसे उत्पादों का कवरेज भी जमा बीमाकर्ता के लिए एक विकल्प होना चाहिए। अपने विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा गठित एक समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में प्रीपेड कार्ड जारीकर्ताओं के वॉलेट में रखे धन को भी जमा बीमा कवर देने की सिफारिश की है। हालांकि डिजिटल उत्पादों को कवर करने के लिए स्पष्ट रूप से कोई “एक आकार सभी के लिए फिट” समाधान नहीं है, हमें एक उपयुक्त दृष्टिकोण चुनने की जरूरत है जो जमा बीमा कार्य के प्राथमिक उद्देश्य के अनुरूप हो।

संयोग से, जलवायु परिवर्तन से संबंधित वित्तीय जोखिमों से जुड़ी अनिश्चितता पहले से कहीं अधिक है और तेजी से सामने आ रही है। जलवायु परिवर्तन उधारकर्ताओं की क्रेडिट गुणवत्ता और पुनर्भुगतान क्षमताओं को प्रभावित करके वित्तीय संस्थानों के डिफ़ॉल्ट जोखिम को बढ़ा सकता है। जमा बीमा पर जलवायु परिवर्तन और उससे संबंधित जोखिमों के प्रभाव को काफी हद तक अनदेखा किया गया है। आईएडीआई सदस्यों के 2022 के सर्वेक्षण [7] ने संकेत दिया कि 60 प्रतिशत जमा बीमाकर्ताओं के पास औपचारिक पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) नीति नहीं है जो मौजूदा कानूनी दायित्वों से परे हो। इसलिए, जमा बीमाकर्ताओं के लिए जोखिमों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना और जलवायु परिवर्तन के तत्वों को शामिल करते हुए एक व्यापक नीति तैयार करना भी सभी अधिकार क्षेत्रों में किए जाने की आवश्यकता हो सकती है।

बीमाकृत जमाराशियों तक त्वरित पहुंच

जमा बीमा प्रणाली का एक प्रमुख कार्य बैंक के परिसमापन की स्थिति में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमाराशियों तक तुरंत पहुँच प्रदान करना है। भारत में, डीआईसीजीसी अधिनियम को 2021 में संशोधित किया गया था ताकि डीआईसीजीसी को उन बैंकों के जमाकर्ताओं को अंतरिम बीमा भुगतान करने का अधिकार दिया जा सके जो आरबीआई द्वारा लगाए गए सर्व-समावेशी-निर्देशों (जो जमाकर्ताओं को उनकी जमाराशियों तक पहुँचने से रोकते हैं) के अंतर्गत आते हैं, बैंक के परिसमापन की प्रतीक्षा किए बिना। संशोधन से पहले की स्थिति के विपरीत, संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को अपनी जमाराशियों के पुनर्भुगतान के लिए लंबी अवधि तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है।

पात्र जमाकर्ताओं की सूची समय पर प्रस्तुत करने में देरी, बैंक के पास पूरी जानकारी उपलब्ध न होना और/या इन जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खातों की कमी के कारण दावों का समय पर निपटान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर छोटे सहकारी बैंकों के मामले में। इसलिए, हमें इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने और संकटग्रस्त बैंकों के अधिकारियों पर कम निर्भर बनाने के लिए उठाए जा सकने वाले अन्य कदमों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि पात्र जमाकर्ता कम से कम व्यवधान के साथ अपने धन तक पहुँच सकें।

2023 में अमेरिका और यूरोप के कुछ बैंकों की विफलता और विफलता के निकट पहुंचाना, दुनिया भर के विनियामकों के लिए महत्वपूर्ण क्षण थे। हालाँकि विफलताएँ स्पष्ट रूप से उनके चलनिधि कुप्रबंधन, दोषपूर्ण व्यवसाय मॉडल और जमाकर्ताओं

[7] ईएसजी और जमा बीमा पर आईएडीआई सर्वेक्षण संक्षिप्त: बर्ट वैन रूजबेके और रयान डेफिना द्वारा स्टॉक लेना और आगे देखना।

के विशिष्ट वर्ग पर केंद्रित ध्यान के कारण थीं, लेकिन इसने कई कारकों के संगम से उत्पन्न वित्तीय स्थिरता जोखिम पर बहस को जन्म दिया है, जिसमें बीमा रहित जमा की मात्रा, जमा बीमा कवरेज की पर्याप्तता के साथ-साथ वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण की भूमिका और इस प्रकरण में सोशल मीडिया की भूमिका शामिल है। चूंकि जमा राशि की यह दौड़ सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना के प्रसार और जमाकर्ताओं द्वारा अभूतपूर्व गति से समन्वित तरीके से जमा राशि की निकासी के कारण शुरू हुई थी, इसलिए इस संकट ने न केवल जमाकर्ताओं के व्यवहार पर सोशल मीडिया के प्रभाव को सामने लाया है, बल्कि बीमा कवरेज जैसे सुरक्षा जाल, जमाकर्ताओं के बदलते व्यवहार के मद्देनजर बीमित संस्थानों द्वारा अपनाई गई चलनिधि जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रभावी समाधान के लिए जमा बीमाकर्ता के पास पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता के महत्व को भी सामने लाया है। इसने बैंक रन के जोखिम को कम करने के लिए कवरेज के दायरे और स्तर की उपयुक्तता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बड़ी संख्या में जमा बीमाकर्ताओं और अधिकारियों को प्रेरित किया है।

प्रथम दृष्टया, जमाराशि के लिए पूर्ण बीमा कवर होना जमाकर्ताओं के लिए आदर्श प्रतीत होता है और इससे बैंक से आहरण के लिए भगदड़ से बचने में भी मदद मिलती है। हालांकि, इससे जुड़े नैतिक जोखिम और वित्तीय अव्यवहार्यता को देखते हुए यह एक उप-इष्टतम समाधान होने की संभावना है। साथ ही, हम छोटे जमाकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों आदि जैसे ग्राहकों के कुछ वर्गों के लिए पूर्ण कवरेज के साथ वैकल्पिक लक्षित बीमा दृष्टिकोण की संभावित आर्थिक व्यवहार्यता की भी जांच कर सकते हैं या ऐसे दृष्टिकोण की संरचनाओं, लागतों और लाभ के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर छोटे जमाकर्ताओं की जमाराशियों को जमा कर सकते हैं।

जन जागरण

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चौबीसों घंटे बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण जमा राशि की निकासी पहले की तुलना में बहुत तेजी से संभव हो गई है। कभी-कभी, गलत सूचना भी जमाकर्ताओं की उन्मादी प्रतिक्रिया का कारण बन सकती है। इसलिए, गलत सूचना के प्रभाव को कम करने के लिए, जमा बीमा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर से, हाल ही में आईएडीआई द्वारा प्रायोजित अध्ययन का हवाला देते हुए, यह स्पष्ट है कि जमा बीमा के बारे में सार्वजनिक जागरूकता जमाकर्ताओं की अपने बैंक से भागने की प्रवृत्ति को 67 प्रतिशत[8] तक कम कर सकती है। इसलिए जमा बीमाकर्ताओं को जमा बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पहल करनी चाहिए, क्योंकि जमा बीमा के बारे में जमाकर्ताओं को शिक्षित करना जमाकर्ताओं की जल्दबाजी और अपनी जमा राशि निकालने की सहज प्रतिक्रिया को सीमित करने में बहुत मददगार हो सकता है, जो अंततः वित्तीय प्रणाली में व्यवधान को कम करने में मदद करता है। विविध ग्राहक आधार की आवश्यकता को पूरा करने वाली सर्वोत्तम संचार रणनीति और उसके प्रभावी कार्यान्वयन की सूक्ष्म खोज की आवश्यकता होगी।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के तौर पर, मैं इस तथ्य पर फिर से जोर देना चाहता हूँ कि जमा बीमा और जमा बीमाकर्ता एक स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय प्रणाली के आवश्यक घटक हैं। वे न केवल जमाकर्ताओं की सुरक्षा करके जनता का विश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वित्तीय सुरक्षा जाल प्रदान करके, जमा बीमाकर्ता वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विनियामकों और जमा बीमाकर्ताओं के लिए अपनी नीतियों और विनियमों को फिर से संरेखित करना अनिवार्य हो गया है ताकि बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं, विशेष रूप से चलनिधि जोखिम प्रबंधन को बेहतर ढंग से प्रबंधित और बढ़ा सकें। तेजी से बदलते वित्तीय परिदृश्य में जमा बीमा के क्षेत्र में नई चुनौतियाँ आती रहेंगी, लेकिन हमें इन चुनौतियों को बढ़ने, सीखने और विकसित होने के अवसरों के रूप में देखना चाहिए। बदलते समय के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए बहुत सतर्क और सक्रिय जमा बीमाकर्ता की आवश्यकता होती है।

इसलिए, सतर्क और सक्रिय रहें।

धन्यवाद।

[8] आईएडीआई रिपोर्ट - 2023 बैंकिंग उथल-पुथल और जमा बीमा प्रणाली - संभावित निहितार्थ और उभरते नीतिगत मुद्दे।